Fax/Speed Post

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

सं0 आरकेएम/2/2014/एमएचओएम 2/एसईपीआरओएम/आर.यू.–3

दिनांक : 06-07-2015

सेवा में,

1 सचिव,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली

2. निदेशक,
राष्टीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो,
गृह मंत्रालय, पूर्वी खण्ड–7,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली–66

विषयः ब्यूरों में कार्यरत श्री राम किशोर मीना को निम्न श्रेणी लिपिक पद पर नियमित पदोन्नति देने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 30.04.2015 को आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री रवि ठाकुर के समक्ष हुई बैठक की कार्यवाही की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि कार्यवाही पर अनुपालन रिपोर्ट आयोग को एक माह के अन्दर भेजने का कष्ट करें।

भवदीय,

एन. बालासुब्रमणियन

(एन. बालासुब्रमणियन)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि कार्यवाही की प्रति सहित सूचनार्थ :

1 श्री राम किशोर मीना, निम्न श्रेणी लिपिक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, पूर्वी खण्ड–7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–66

2 - SSA, NIC.

<u>परिशिष्ट–1</u>

<u>सं0 आरकेएम / 2 / 2014 / एमएचओएम2 / एसईपीआरओएम / आर.यू.–3</u>

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में एक्स कैडर निम्न श्रेणी लिपिक पद पर नियमित पदोन्नति के संबंध में श्री राम किशोर मीना, निम्न श्रेणी लिपिक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नई दिल्ली के मामले में दिनांक 30.04.2015 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोग के माननीय उपाध्यक्ष, श्री रवि ठाकुर के समक्ष हुई बैठक की कार्यवाही।

बैठक की तिथि : 30.04.2015

बैठक में भाग लेने वाले–परिशिष्ट–1

पृष्ठभूमि

श्री राम किशोर मीना, निम्न श्रेणी लिपिक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नई दिल्ली ने अभ्यावेदन दिनांक 04.09.2014 में अभ्यावेदन में आरोप लगाया है कि उसको निम्न श्रेणी लिपिक पद से दिनांक 23.09.2014 से पदावनत कर दिया गया है जिसके लिए उक्त पद पर नियमित पदोन्नति दिलवाने हेतु उसने आयोग को अनुरोध किया है।

पत्राचार उपरांत आयोग के माननीय उपाध्यक्ष, श्री रवि ठाकुर द्वारा सचिव, गृह मंत्रालय तथा निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को मामले पर दिनांक 30.04.2015 को चर्चा के लिए आयोग में बुलाया गया।

गृह मंत्रालय से उप सचिव, निदेशक (सीएस) आयोग के माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित हुए। सचिव, गृह मंत्रालय उपस्थित नहीं होने को माननीय उपाध्यक्ष द्वारा गंभीरता से लिया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से उप निदेशक, सहायक निदेशक आयोग में उपस्थित हुए।

श्री राम किशोर मीना ने अवगत कराया कि उसे दफ्तरी से निम्न श्रेणी लिपिक पद पर दिनांक 17.06.2003 को तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया। दिनांक 16.12.2003 को दफ्तरी पद पर पदावनत कर दिया। दिनांक 12.02.2004 से फिर छः माह के लिए तदर्थ आधार पर दोबारा पदोन्नत किया गया तथा दिनांक 12.08.2004 को फिर पदावनत किया। इस संबंध में अभ्यावेदक द्वारा आयोग को अनुरोध करने पर मामले में आयोग में दिनांक 08.10.2004 को निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ चर्चा हेतु बैठक की गई। आयोग में हुई बैठक के संदर्भ में श्री मीना को दिनांक 19.04.2006 तक निम्न श्रेणी लिपिक पद पर तदर्थ नियुक्ति दे दी गयी।

श्री मीना ने आयोग को बताया कि उनको ब्यूरो द्वारा दिनांक 20.04.2006 से पुनः पदावनत कर दिया गया जिस पर उसके द्वारा पुनः आयोग को आवेदन किया गया। इस मामले पर आयोग में दिनांक 06.10.2006 को पुनः चर्चा हुई और मामले में हुई चर्चा के अनुपालन हेतु निदेशक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को आयोग की ओर से पत्र दिनांक 11.10.2006 भेजा गया **जिसमें ब्यूरो को सुझाव दिया गया कि श्री मीना को कथित पद के रिवाइवल होने तक दिनांक 20.04.2006 से पदोन्नत किया जाए।** माननीय उपाध्यक्ष के पूछने पर श्री मीना ने आयोग को सूचित किया कि वह दिनांक 20.04.2006 से दिनांक 22.09.2014 तक निम्न श्रेणी लिपिक पद पर पदोन्नत है। ब्यूरो द्वारा उसको उक्त पद से दिनांक 23.09.2014 को पदावनत कर दिया गया। अभ्यावेदक ने आयोग को अनुरोध किया कि उसको

[illegible]
[illegible] ब्यूरो द्वारा नहीं किया गया

चर्चा के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि श्री मीना निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर वर्ष 2006 से अब सितम्बर 2014 तक आसीन हैं। इस संबंध में उप सचिव, गृह मंत्रालय ने कहा कि उक्त मामला पूर्णतः राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का है जिसमें मुख्य निर्णय ब्यूरो द्वारा लिया जाना ही प्रावधित है। यदि ब्यूरो, गृह मंत्रालय को उक्त संबंध में कोई प्रस्ताव या नोट भेजता है तो तद्नुसार विचार किया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के उपस्थित अधिकारी से इस संबंध में स्थिति जानने हेतु कहा जिस पर उन्होंने सूचित किया कि ब्यूरो को निम्न श्रेणी लिपिक (बाह्य संवर्ग) के तीन पद स्टाफ सहित सीबीआई के डाटा रिकोर्ड विंग से 1986 में स्थानान्तरित हुए थे इन में से एक पद 1986 से रिक्त था। निम्न श्रेणी लिपिक का एक पद अकेला होने के कारण इस पद के भर्ती नियम नहीं बनाये गये जिसके कारण पदस्थ स्टाफ को परेशान होना पड़ा। इन पदों पर सीबीआई के कर्मचारियों को समुचित संवर्ग एवं पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए ब्यूरो में संवर्गीकरण का निर्णय लिया गया। संवर्गीकरण के निर्णय का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा गया। गृह मंत्रालय ने उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया जिसके फलस्वरूप निम्न श्रेणी लिपिक के उक्त पदों के भर्ती नियम नहीं बनाये गये।

निष्कर्ष : श्री राम किशोर मीना अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य है तथा ब्यूरो में इनकी सेवा में संरक्षण किया जाना आवश्यक है क्योंकि उनको वर्ष 2006 से वर्ष 2014 तक समय–समय पर पदोन्नति एवं पदावनत किया गया है। ब्यूरो में निम्न श्रेणी लिपिक के पद को कांसटेबल पद के रूप में संवर्गीकरण किन कारणवश किया जा रहा है क्योंकि कांसटेबल को भरने के नियम, भर्ती नियम निम्न श्रेणी लिपिक पद से भिन्न होते हैं। अतः अभ्यावेदक श्री मीना को निम्न श्रेणी लिपिक पद पर पदोन्नत कर उक्त पदों का संवर्गीकरण करना चाहिए था जो कि ब्यूरो के स्तर पर अनदेखी है क्योंकि श्री मीना द्वारा धारित पद के नाम पर उक्त निम्न श्रेणी लिपिक का पद गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुनर्जीवित के तौर पर अनुमोदित किया गया। इस संबंध में गृह मंत्रालय के बैठक में उपस्थित अधिकारीगण एवं ब्यूरो के उप निदेशक ने आश्वासन दिया कि मामले में आयोग के दिशा–निर्देशानुसार भर्ती नियम, रोस्टर, वरिष्टता सूची एवं हुई विभागीय पदोन्नति को पुनः जांच कर कार्रवाई की जाएगी। चर्चा के दौरान स्पष्ट हुआ कि निम्न श्रेणी लिपिक का उक्त पद 1986 से ब्यूरो के पास है तथा उक्त पद पर समय–समय पर निम्न श्रेणी लिपिक कार्यरत रहे हैं। ब्यूरो का यह कहना कि उक्त पद के लिए भर्ती नियम नहीं बनाए गए उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि किसी भी विभाग में बिना भर्ती नियम/बिना विभागीय नियमों एवं बिना पद की उपयोगिता पर नियुक्ति संभव नहीं है।

आयोग द्वारा सलाह दी जाती है कि श्री मीना को उक्त पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति दी जाती रही है। अतः उनको उक्त पद पर वर्ष 2006 से निम्न श्रेणी लिपिक पद पर नियमित पदोन्नति देने के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करें तथा अनुपालन रिपोर्ट आयोग को एक माह के अन्दर भिजवाए।

Ravi Thakur
2-7-2015

रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट–1

सं0 आरकेएम/2/2014/एमएचओएम2/एसईपीआरओएम/आर.यू.–3

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में एक्स कैडर निम्न श्रेणी लिपिक पद पर नियमित पदोन्नति के संबंध में श्री राम किशोर मीना, निम्न श्रेणी लिपिक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नई दिल्ली के मामले में दिनांक 30.04.2015 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोग के माननीय उपाध्यक्ष, श्री रवि ठाकुर के समक्ष हुई बैठक की कार्यवाही।

बैठक में भाग लेने वाले –

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम
1.	श्री रवि ठाकुर, उपाध्यक्ष
2.	श्रीमती के. डी. बन्सौर, निदेशक
3.	श्री हरि राम मीना, वरिष्ठ अन्वेषक
गृह मंत्रालय, भारत सरकार	
1.	श्री वी. के. राजन, उप सचिव
2.	श्री वेदान्तन गिरि, निदेशक (सीएस)
3.	श्री एस. सावन्ता, अवर सचिव
4.	श्री दीपक कुमार, अनुभाग अधिकारी
राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो	
1.	श्री आई.डी. शुक्ला, उप निदेशक
2.	श्री एन.के. सिंह, सहायक निदेशक
3.	श्री संतोष अरोड़ा, अनुभाग अधिकारी
4.	श्री दर्शन
अभ्यावेदक	
1.	श्री राम किशोर मीना